



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक 7405/01/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 12.5 JUL 2018

विज्ञप्ति

सहायक संचालक (योजना) के पद हेतु प्राप्त आपत्तियों के निराकरण बाबद्।

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2018/01.03.2018, नगरीय विकास तथा आवास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 5717/01/2018/चयन, दिनांक 27 जून, 2018, द्वारा कुल-358 आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाकर विज्ञप्ति जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है जिसमें आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि निरस्ती के संबंध में अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाना है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

3/ साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में निम्नलिखित आवेदकों से आपत्ति अभ्यावेदन निर्धारित तिथि तक आयोग को प्राप्त हुए हैं :-


- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. अभिषेक गढ़ेकर | 14. भावना शर्मा |
| 2. जितेन्द्र अहिरवार | 15. यश चौधरी |
| 3. दिवाकर सिंह | 16. गोविन्द सिंह |
| 4. सुदर्शन झिले | 17. नवदीप गर्ग |
| 5. मोहम्मद इस्लामुद्दीन फराज | 18. लवलीन उपासक |
| 6. शुभम राठौड़ | 19. पवन साहितानी |
| 7. अर्पित नेमा | 20. जुबीन चिरोन रोय |
| 8. पुर्वा सक्सेना | 21. विजय सिंह सोलंकी |
| 9. अपूर्व श्रीवास्तव | 22. प्रकाशचन्द्र आर्य |
| 10. प्रदीप यादव | 23. सोबान बडोनिया |
| 11. प्रतीक दीक्षित | 24. बसंत कुमार रजक |
| 12. प्रकाशचन्द्र आर्य | 25. पार्थ सोनी |
| 13. अमित कुमार भारती | |

04/ मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालयत्र भोपाल के पत्र क्रमांक 1679/1049/2018/18-5, दिनांक 03.06.2018 में दिए गए लेख अनुसार सहायक संचालक (योजना) पद हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश राजपत्रित (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम-1977 के प्रावधानों के अनुरूप इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि धारक आवेदकों के आवेदन मान्य योग्य नहीं होने से निरस्त किए गए हैं।

Handwritten signature

05/ सहायक संचालक (योजना) हेतु कुल विज्ञापित पद-12 के अनुपात में 413 आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में विज्ञापन में विज्ञापित कड़िका अनुसार 05 गुना आवेदक अर्थात् 60 आवेदकों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट सूची अनुसार साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाना है। साक्षात्कार में आमंत्रित करने हेतु आयोग द्वारा किये गये निर्णयानुसार शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी गयी है।

06/ उपरोक्त 25 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन का परीक्षण आयोग द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया कि आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी पूर्व में जिन कारणों से निरस्त की गई हैं वह, पूर्ववत् यथावत् है। अतः आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के विचारोपरांत अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाते हैं।



उप परीक्षा नियंत्रक (चयन)